पत्रावली पेश हुई। बहुलाय उपस्थित। वाद मूल प्रार्थना-पत्र उभयपक्ष की सुनी गयी। प्रार्थीगण खे.नं. 661 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा एवं खे.नं. 438 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा के सिविल काबिज हैं, अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी उनको ही संभावित है। अतः मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण ग्राम बोड़ावर के खे.नं. 661 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा एवं खे.नं. 438 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग, उपभोग में हस्तक्षेप दखल नहीं करें, न अन्य किसी को करवे तथा इस वाद ग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण को सड़क व अन्य निर्माण नहीं करने बाबत आज्ञा निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की जाती है। प्रार्थीगण खे.नं. 670 रास्ते की भूमि पर निर्माण की जा रही सीमेंट सड़क में हस्तक्षेप नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर के कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।